भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1686
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

†1686. श्री संजय सेठः
श्री दीपक बैजः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्रीमती साजदा अहमदः
डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः
श्री धर्मवीर सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बच्चियों सहित महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अत्याचारों और अपराधों में बढ़ोतरी हुई है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे अपराध-वार और राज्य-वार कितने मामले पंजीकृत हुए हैं, कितने अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई है और मामले का निपटारा किया गया है/कितने मामले लंबित हैं और ऐसे मामलों की दोष-सिद्धि की दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने 25 जनवरी, 2013 को नोटिस जारी करके विभिन्न राज्य सरकारों को बलात्कार और महिलाओं के संरक्षण से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई करने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार ने सभी राज्यों को महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसे मामलों को रोकने/नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

...2/-

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ''भारत में अपराध'' में अपराधों से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2016 तक उपलब्ध हैं। आंकड़े ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाते हैं।

वर्ष 2014-16 के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति कुल अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामलों (सीसीएस), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) का ब्यौरा **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में उपलब्ध है।

वर्ष 2014-16 के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति कुल अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार पंजीकृत मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामलों (सीसीएस), आरोप पत्र दायर करने की दर (सीएचआर), विचारण पूर्ण किए गए मामलों (सीटीसी), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) का ब्यौरा **अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV** में उपलब्ध है।

(ग): फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निर्भया फंड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने बलात्कार के मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की है।

(घ): गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस स्वयं सेवकों की तैनाती के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 22.06.2016 और 08.04.2019 को परामर्शी पत्र जारी किए हैं।

(ड.): देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 और बाल

विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसे महिलाओं से संबंधित विभिन्न विशेष कानूनों को लागू कर रहा है। यह मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 को भी लागू कर रहा है।

यौन अपराधों के प्रभावशाली विधिक निवारण के लिए, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, जांच और विचारण प्रत्येक को 2 महीनों के अंदर पूरा करने का भी अधिदेश दिया गया है।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई अन्य पहलें भी की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

(क) सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्भया कोष स्थापित किया हैजिसके लिए निर्भया कोष के अंतर्गत वित्तपोषण , सिफारिश करने के लिए महिला /योजनाओं का मूल्यांकन/किए जाने वाले प्रस्तावों और बाल विकास मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है।

(ख) राज्यों गृह मंत्रालय ने दंड विधि ,संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए/ ,अधिनियम (संशोधन)2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसका पता लगाने के लिए दिनांक 19 ,फरवरी2019 को पुलिस के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।

(ग) गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 ,सितम्बर2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस"शुरू (एनडीएसओ) लाख से अधि 5 किया है। एनडीएसओ मेंक यौन अपराधियों के आंकड़े उपलब्ध हैं।

(घ) वर्ष 2018-संघ राज्य क्षेत्रों में आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली /राज्यों 20 में 19) जिसमें एकल आपातकालीन नम्बर ,चालू की गई है112पर आधारित कंप्यूटर (की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान तक पहुंचाने का प्रावधान है।

(ङ) गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए नागरिकों हेतु दिनांक 20 ,सितम्बर2018 को साइबरकई ,अपराध पोर्टल शुरू किया है। इसके अतिरिक्त-राज्यों में साइबर अपराध फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और महिलाओं तथा बच्चों के प्रति साइबर अपराधों की पहचान करनेपता लगाने , और उनका समाधान करनेके लिए लोक अभियोजकों और न्यायिक 410 3 अधिकारियों सहित,से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 664

(च) स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ,8 शहरों ,दिल्ली ,चेन्नई ,बेंगलुरु ,अहमदाबाद) । में सुरक्षित शहर -में चरण (लखनऊ और मुम्बई ,कोलकाता ,हैदराबाद परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(छ) जांच में सुधार करने के लिएगृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान , प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाचंडीगढ़ में अत्याधुनिक , 13 डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए /राज्यों वि्श्लेषण इकाइयों की स्थापना और स्तरोन्नयन करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

(ज) गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के संबंध में दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, जांच अधिकारियोंअभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के , लिए प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन संबंधी कार्यक्रम शुरू हो गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और (बीपीआरएंडडी) लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधिविज्ञान संस्थान द्वारा फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण2 रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन में ,,अधिकारियों को पहले ही 575 प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। बीपीआरएंडडी ने प्रशिक्षण के भाग के रूप में सं/राज्योंघ राज्य क्षेत्रों को अभिविन्यास किट के रूप में 3,यौन हमला साक्ष्य 120 संग्रहण किट वितरित किए हैं।

(झ) महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलों का समन्वय करने के लिएगृह , मंत्रालय ने महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है।

(ञ) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और मदद प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की योजना तथा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आपातकालीन कार्रवाई की -घंटे आपातकालीन और गैर 24 सुविधा प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना भी शुरू की है। उपर्युक्त के अतिरिक्तमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह , संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की /मंत्रालय के सहयोग से राज्यों तैनाती की परिकल्पना की है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करेंगी तथा संकट में फंसी महिलाओं को सहायता प्रदान करेंगी।

(ट) इसके अतिरिक्त ,सेमिनारों ,सांस्कृतिक कार्यक्रमों ,भारत सरकार कार्यशालाओं , प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों आदि के माध्यम ,प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों के संबंध में जागरूकता सृजन कार्यक्रम और प्रचार अभियान आयोजित करती है।

(ठ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आयोग को पॉक्सो (एनसीपीसीआर) मामलों की सहज और सीधी सूचना देने के लिए एनसीपीसीआर वेबसाइट पर पॉक्सो ईबॉक्स एसएमएस से संबंधित सेवा शुरू की है।/ईमेल/"स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों" के बारे में मैनुअल जैसे मैनुअल तैयार करने के अतिरिक्तइसने पॉक्सो जागरूकता अभियान भी आयोजित किए हैं। ,

(ड) महिला और बाल विकास मंत्रालय राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से बाल / संरक्षण सेवाओं संबंधी स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में 24X 7 चा) चाइल्ड हेल्पलाइनइल्डलाइन 1098) का घटक शामिल है ,जो आवश्यकतानुसार जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप के साथसाथ परामर्श संबंधी देखभाल - प्रमुख रेलवे प्लेटफार्मों पर ,की सुविधा प्रदान करती है। यह मंत्रालय वर्तमान में रेलवे चाइल्ड लाइन संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। 97

(ढ) गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारोंपत्र जारी किए -संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी/ बलात्कार पीड़ितों की अविलम्ब ,जिनमें उन्हें पूर्ण जांच सुनिश्चित करने ,हैं चिकित्सा जांच कराने और पुलिस में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने की सलाह दी गई है। ये परामर्शी पत्र www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2014-16 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014						2015						2016					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	16526	13400	839	21692	20120	1467	15967	13255	768	22530	20265	1565	16362	14774	922	26606	21244	1279
2	अरुणाचल प्रदेश	351	241	9	397	315	12	384	259	0	408	303	0	367	239	23	389	284	23
3	असम	19169	10039	518	27667	11943	556	23365	12287	669	22867	12593	741	20869	11004	470	21738	11589	475
4	बिहार	15393	10135	525	19814	15726	862	13904	9148	508	16484	13357	751	13400	13951	639	17448	18366	988
5	छत्तीसगढ़	6301	5629	1531	8875	9196	2047	5783	4910	2319	6935	7212	2861	5947	5114	1207	7317	7082	1573
6	गोवा	508	329	14	497	472	16	392	319	27	402	405	32	371	236	18	349	300	19
7	गुजरात	10854	10160	174	25787	26079	355	7777	7025	114	18145	17912	206	8532	7676	122	18649	18557	294
8	हरियाणा	9010	5751	692	9893	9292	1011	9511	5348	805	8329	8213	1173	9839	5603	560	9296	8171	777
9	हिमाचल प्रदेश	1529	1122	69	2007	1912	115	1295	1012	61	1685	1701	124	1222	947	83	1635	1564	120
10	जम्मू और कश्मीर	3327	2360	105	4961	4824	138	3366	2538	83	5063	4951	136	2850	1823	56	3985	3546	68
11	झारखंड	6086	4585	786	7045	6804	1010	6568	4722	726	6398	6501	1075	5453	4136	766	6504	4997	846
12	कर्नाटक	14004	11298	354	23110	20712	891	12775	10053	251	21361	19288	394	14131	9936	271	22730	18647	387
13	केरल	11451	10150	553	13940	13321	660	9767	8856	649	11461	11490	609	10034	9408	500	12463	11519	657
14	मध्य प्रदेश	28756	25515	5773	42351	42208	9295	24231	21622	4233	36826	37241	7522	26604	23606	3888	40663	39662	6199
15	महाराष्ट्र	26818	22834	926	49066	47885	1428	31216	22784	1229	45924	41984	2244	31388	26231	1135	46941	44686	2101
16	मणिपुर	337	71	4	214	71	6	266	94	7	145	103	16	253	165	7	151	177	11
17	मेघालय	390	312	13	378	347	13	337	224	12	280	240	12	372	262	88	283	394	127
18	मिजोरम	258	240	139	267	259	147	158	197	138	187	213	166	120	116	71	126	122	76
19	नागालैंड	68	47	22	82	59	30	91	70	24	102	100	29	105	61	23	72	67	30
20	ओडिशा	14651	12194	429	20292	19470	763	17200	15046	511	20512	19520	868	17837	15610	392	19837	19911	918
21	पंजाब	5481	3174	637	7034	5370	1062	5340	3552	794	6336	6022	1419	5105	2995	550	6150	4676	894
22	राजस्थान	31216	16442	3659	23772	23407	5841	28224	14582	3318	20110	20444	4765	27422	14493	2884	20457	20597	4159
23	सिक्किम	111	104	46	182	167	44	53	36	6	59	42	8	153	113	11	159	123	11
24	तमिलनाडु	6354	4756	1186	9295	8622	1957	5919	4221	867	9418	7965	1629	4463	3166	647	7870	6286	954
25	तेलंगाना	14147	11366	504	19966	17761	644	15425	14037	533	18962	20706	918	15374	12185	471	21287	18313	733
26	त्रिपुरा	1618	1343	108	2070	2724	134	1267	1025	99	1311	1265	108	1013	862	130	1142	1079	152
27	उत्तर प्रदेश	38918	26506	5288	112846	69734	13960	35908	24940	7151	105231	71019	17905	49262	32032	5795	130249	82000	15148
28	उत्तराखंड	1413	992	284	1694	1582	434	1465	858	628	1425	1442	986	1588	990	243	1566	1490	347
29	पश्चिम बंगाल	38424	35332	422	50335	45770	517	33318	35006	420	36368	37997	500	32513	33539	319	34726	35215	392
	कुल (राज्य)	**323469**	**246427**	**25609**	**505529**	**426152**	**45415**	**311272**	**238026**	**26950**	**445264**	**390494**	**48762**	**322949**	**251273**	**22291**	**480788**	**400664**	**39758**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	117	97	12	128	127	13	136	97	7	124	115	8	108	77	8	114	89	14
31	चंडीगढ़	434	262	65	390	371	88	468	277	65	466	453	87	414	280	52	399	358	61
32	दादरा एवं नगर हवेली	21	16	0	17	20	0	25	12	2	37	22	2	28	30	2	28	40	2
33	दमन एवं दीव	16	15	1	7	8	1	29	13	0	25	14	0	41	28	0	48	34	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	15319	6412	1008	8377	7240	1480	17222	7854	880	10630	9439	1124	15310	8542	736	13759	9883	931
35	लक्षद्वीप	4	3	0	3	6	0	9	1	1	6	2	1	9	8	0	7	7	0
36	पुदुचेरी	77	57	1	88	78	1	82	66	4	120	88	4	95	66	5	93	95	6
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**15988**	**6862**	**1087**	**9010**	**7850**	**1583**	**17971**	**8320**	**959**	**11408**	**10133**	**1226**	**16005**	**9031**	**803**	**14448**	**10506**	**1014**
	कुल (अखिल भारत)	**339457**	**253289**	**26696**	**514539**	**434002**	**46998**	**329243**	**246346**	**27909**	**456672**	**400627**	**49988**	**338954**	**260304**	**23094**	**495236**	**411170**	**40772**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक-II

वर्ष 2014-16 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यंक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014						2015						2016					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	2059	1284	54	2459	1799	59	1992	1396	108	2167	1867	130	1847	1405	113	1868	1790	122
2	अरुणाचल प्रदेश	134	82	1	124	105	1	181	83	0	118	106	0	133	71	1	106	80	1
3	असम	1385	571	23	1487	577	23	2835	1023	27	2797	1070	27	3964	1338	57	4179	1439	57
4	बिहार	2255	1372	60	2406	1862	74	1917	1122	70	1857	1506	96	3932	2898	75	4300	3338	97
5	छत्तीसगढ़	4358	3217	613	3911	3990	780	4469	3127	961	4194	4192	1068	4746	3365	924	4154	4100	1035
6	गोवा	330	155	5	256	228	10	242	195	20	183	242	23	230	130	18	187	165	18
7	गुजरात	3219	2192	38	3211	3140	54	3623	2494	38	3531	3511	53	3637	2641	34	3431	3492	44
8	हरियाणा	2540	1434	220	2046	1953	285	3262	1551	228	2126	2015	257	3099	1628	150	2421	2174	197
9	हिमाचल प्रदेश	467	255	31	404	368	39	477	286	34	411	408	46	467	245	30	386	348	38
10	जम्मू और कश्मीर	211	97	2	190	133	2	308	110	4	229	178	5	222	92	4	174	136	4
11	झारखंड	423	529	144	509	659	151	406	249	40	363	291	43	717	429	45	672	479	45
12	कर्नाटक	3416	1983	66	3449	2697	87	3961	2176	50	3269	2743	53	4455	2211	76	3213	2650	88
13	केरल	2391	2028	115	2714	2658	131	2384	2009	146	2532	2410	163	2879	2663	85	4025	3733	91
14	मध्य प्रदेश	15085	10278	1897	14122	13903	2586	12859	9267	1704	11926	12218	2161	13746	9527	1642	13519	12506	2200
15	महाराष्ट्र	8115	5487	210	8338	7391	236	13921	6345	313	10627	8416	361	14559	7239	399	9561	9180	462
16	मणिपुर	137	15	0	56	8	0	110	48	1	58	45	1	134	68	1	88	75	1
17	मेघालय	213	160	7	183	165	7	257	138	2	186	165	2	240	135	30	204	147	35
18	मिजोरम	178	139	49	153	113	50	186	202	110	188	203	111	188	164	63	193	170	63
19	नागालैंड	25	12	5	45	36	24	61	29	7	43	52	7	78	31	9	62	34	12
20	ओडिशा	2196	1363	29	1850	1728	31	2562	1786	41	2062	1992	42	3286	2319	43	2553	2495	54
21	पंजाब	1762	862	186	1683	1183	223	1836	1017	306	1691	1383	380	1843	835	164	1670	1073	201
22	राजस्थान	3880	2067	290	2660	2620	374	3689	2014	232	2682	2733	302	4034	2323	266	2900	2902	315
23	सिक्किम	93	66	20	83	66	3	64	55	17	67	57	17	110	86	9	115	98	9
24	तमिलनाडु	2354	1710	614	2711	2222	662	2617	2025	363	3238	2711	446	2856	2144	634	3295	2718	692
25	तेलंगाना	1930	1229	79	3277	2521	108	2697	1964	112	2384	2392	128	2909	2167	88	3322	2706	100

26	त्रिपुरा	369	243	17	335	306	24	255	206	22	213	251	27	274	201	29	273	223	30
27	उत्तर प्रदेश	14835	11769	1427	26019	19869	2544	11420	8705	2185	20693	15012	3482	16079	9753	1529	25627	16628	2571
28	उत्तराखंड	489	292	39	362	367	46	635	207	131	334	316	147	676	267	50	365	321	57
29	पश्चिम बंगाल	4909	3238	36	5266	3787	36	4963	4943	46	5351	5381	56	7004	4641	78	5311	4943	87
	कुल (राज्य)	**79758**	**54129**	**6277**	**90309**	**76454**	**8650**	**84189**	**54772**	**7318**	**85520**	**73866**	**9634**	**98344**	**61016**	**6646**	**98174**	**80143**	**8726**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	50	31	10	57	37	13	102	75	2	94	86	2	86	53	4	88	73	3
31	चंडीगढ़	208	114	45	134	148	51	271	106	34	152	134	49	222	87	45	114	116	52
32	दादरा एवं नगर हवेली	11	5	0	7	6	0	35	20	0	25	22	0	21	16	2	15	19	2
33	दमन एवं दीव	7	4	1	6	4	1	28	5	1	10	9	0	31	10	0	15	10	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	9350	2411	310	2909	2643	368	9489	2524	333	3097	3016	404	8178	2114	294	2894	2591	335
35	लक्षद्वीप	1	1	0	3	3	0	2	0	0	1	0	0	5	5	0	4	5	0
36	पुदुचेरी	38	29	0	35	38	0	56	37	2	50	44	2	71	51	0	56	58	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**9665**	**2595**	**366**	**3151**	**2879**	**433**	**9983**	**2767**	**372**	**3429**	**3311**	**457**	**8614**	**2336**	**345**	**3186**	**2872**	**392**
	कुल (अखिल भारत)	**89423**	**56724**	**6643**	**93460**	**79333**	**9083**	**94172**	**57539**	**7690**	**88949**	**77177**	**10091**	**106958**	**63352**	**6991**	**101360**	**83015**	**9118**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक-III

वर्ष 2016 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), आरोप पत्र दायर करने की दर (सीएचआर), विचारण पूर्ण किए गए मामले (सीटीसी), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं	अपराध शीर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएचआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीएफटी	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	बलात्कार	38947	33628	87.6	18552	4739	25.5	152140	133373	48797	43525	6289
2	बलात्कार करने का प्रयास	5729	4290	78.1	1093	215	19.7	10165	9063	5965	5102	278
3	महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण	64519	29084	46.7	11720	2512	21.4	139905	127950	60467	40516	4429
4	दहेज से संबंधित मौतें	7621	7067	88.7	4351	1325	30.5	44123	39723	20545	16315	3400
5	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर हमला	84746	71638	87.2	32115	7001	21.8	322937	286884	110375	95728	9541
6	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना	7305	6336	85.1	3629	735	20.3	36765	31814	8668	8002	958
7	पति अथवा उसके संबंधियों द्वारा अत्याचार	110378	91810	83.3	44681	5433	12.2	569022	515904	198851	168053	13511
8	तेजाब हमला	160	132	87.4	24	9	37.5	341	317	194	168	11
9	तेजाब हमले का प्रयास	46	31	68.9	3	1	33.3	66	63	39	43	1
10	गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कृत्य द्वारा हुई मौतें	125	84	66.7	2	0	0	100	98	199	128	0
11	महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराना	462	268	70.2	17	0	0	341	324	711	392	0
12	मानव दुर्व्यापार	659	576	87	86	28	32.6	1151	1065	1026	873	56
13	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	4466	3872	92.2	1523	212	13.9	13818	12282	7234	6223	305
14	अप्राकृतिक अपराध	489	255	62.2	23	7	30.4	387	364	502	276	7
15	दहेज निषेध अधिनियम, 1961	9683	8455	82.8	3233	494	15.3	38119	34785	25063	20400	1199
16	महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986	38	54	93.1	59	22	37.3	759	700	57	68	25
17	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005	437	403	95.5	69	23	33.3	1201	1130	556	515	28
18	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम	2214	1921	97.8	854	329	38.5	8877	8014	5177	4371	723
19	यौन उन्मुख सामग्री का प्रकाशन अथवा प्रसारण (आईटी अधिनियम की धारा 67क)	930	400	58.7	54	9	16.7	990	933	810	472	11
	महिलाओं के प्रति कुल अपराध	**338954**	**260304**	**78.1**	**122088**	**23094**	**18.9**	**1341207**	**1204786**	**495236**	**411170**	**40772**

क्र.सं	अपराध शीर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएचआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीएफटी	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	बलात्कार	34651	30001	86.8	18764	5514	29.4	137458	118520	42036	39494	7185
2	बलात्कार करने का प्रयास	4437	3174	80.7	1035	205	19.8	6940	5886	4338	3892	247
3	महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण	59283	27215	48.7	12888	3157	24.5	124253	110887	55329	39826	5181
4	दहेज से संबंधित मौतें	7634	7150	88.4	5165	1792	34.7	42410	37062	19973	16996	4624
5	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर हमला	82422	66887	86.8	34541	8408	24.3	291109	251482	101571	90897	11342
6	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना	8685	7019	88.3	3998	870	21.8	36221	30423	9870	9260	1108
7	पति अथवा उसके संबंधियों द्वारा अत्याचार	113403	90971	80.9	46127	6559	14.2	534431	477986	187067	171605	16857

8	तेजाब हमला	140	102	87.2	15	7	46.7	224	209	192	141	12
9	तेजाब हमले का प्रयास	30	18	75	4	0	0	39	35	37	24	0
10	गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कृत्य द्वारा हुई मौतें	12	6	85.7	0	0	-	16	16	11	6	0
11	महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराना	54	43	95.6	8	4	50	81	73	95	66	8
12	मानव दुर्व्यापार	713	438	85.7	70	34	48.6	647	575	1162	998	53
13	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	4060	3190	91.1	1340	193	14.4	11319	9951	6255	5366	314
14	अप्राकृतिक अपराध	108	69	89.6	17	7	41.2	149	132	100	75	7
15	दहेज निषेध अधिनियम, 1961	9894	7162	80	3212	595	18.5	33586	29667	22068	15517	1831
16	महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986	40	32	84.2	137	44	32.1	842	704	76	62	57
17	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005	461	418	94.4	46	22	47.8	846	799	540	482	27
18	अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम	2424	2122	98.8	987	485	49.1	7772	6777	5407	5420	1116
19	यौन उन्मुख सामग्री का प्रकाशन अथवा प्रसारण (आईटी अधिनियम की धारा 67क)	792	329	45.8	41	13	31.7	630	588	545	500	19
महिलाओं के प्रति कुल अपराध		**329243**	**246346**	**77.8**	**128395**	**27909**	**21.7**	**1228973**	**1081772**	**456672**	**400627**	**49988**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2014 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), आरोप पत्र दायर करने की दर (सीएचआर), विचारण पूर्ण किए गए मामले (सीटीसी), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), विचार संबंधी मामले (सीएफटी), वर्ष के अंत में विचारण के लिए लंबित मामले (सीपीटीईवाई)

क्र.सं	अपराध शीर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएचआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीएफटी	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	हत्या	1817	1517	86.5	793	351	44.3	6636	5842	2759	2517	624
2	शिशु हत्या	121	33	28	35	15	42.9	187	152	79	55	29
3	अपहरण और व्यपहरण	37854	15082	48.6	5448	1436	26.4	46898	41323	29152	22164	2357
4	भ्रूण हत्या	107	30	24.2	42	6	14.3	153	111	48	48	7
5	बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना	56	55	79.7	57	14	24.6	287	230	56	80	21
6	निष्कासन और परित्याग	983	139	15	60	11	18.3	872	787	277	197	12
7	नाबालिग लड़कियों की खरीद	2020	1315	80.6	246	31	12.6	2837	2535	1967	1476	33
8	विदेशी राष्ट्र से लड़कियों का आयात	2	1	50	0	0	-	1	1	6	4	0
9	वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों की खरीद	14	11	52.4	1	0	0	154	153	31	15	0
10	वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को बेचना	82	77	82.8	16	3	18.8	420	404	109	115	5
11	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	280	220	89.1	103	15	14.6	733	629	718	612	49
12	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
13	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986	147	74	98.7	10	3	30	121	109	156	113	3
14	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	86	76	95	10	0	0	333	323	209	164	0
15	किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और सुरक्षा) अधिनियम, 2000	1315	1103	96	530	498	94	1760	1230	1489	1385	540
16	यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012	34449	28393	94.6	7487	2275	30.4	59988	52308	41732	36653	2686
17	हत्या करने का प्रयास	840	806	87.2	497	211	42.5	1994	1494	2502	2054	345
18	अप्राकृतिक अपराध	765	612	94.6	124	49	39.5	1006	881	868	749	58
19	मानव दुर्व्यापार			-			-					
#	बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध	8484	7180	86.8	4638	1725	37.2	27664	22407	11302	10932	2314
	बच्चों के प्रति कुल अपराध	**89423**	**56724**	**73.5**	**20097**	**6643**	**33.1**	**152050**	**130925**	**93460**	**79333**	**9083**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2015 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), आरोप पत्र दायर करने की दर (सीएचआर), विचारण पूर्ण किए गए मामले (सीटीसी), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), विचार संबंधी मामले (सीएफटी), वर्ष के अंत में विचारण के लिए लंबित मामले (सीपीटीईवाई)

क्र.सं	अपराध शीर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएचआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीएफटी	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	हत्या	1758	1423	85.9	833	387	46.5	7257	6422	2444	2326	612
2	शिशु हत्या	91	38	40.9	23	12	52.2	190	165	58	64	27
3	अपहरण और व्यपहरण	41893	15054	40.4	5462	1691	31	56442	50841	28054	21670	2556
4	भ्रूण हत्या	97	30	31.9	14	2	14.3	141	127	58	46	2
5	बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना	51	52	92.9	28	2	7.1	282	254	57	62	2
6	निष्कासन और परित्याग	885	99	11.8	39	7	17.9	885	845	139	128	10
7	नाबालिग लड़कियों की खरीद	3087	1348	66.7	334	37	11.1	3805	3454	2481	1520	56
8	विदेशी राष्ट्र से लड़कियों का आयात	2	1	100	0	0	-	2	2	3	1	0
9	वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों की खरीद	11	10	100	1	1	100	163	162	15	15	2
10	वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को बेचना	111	119	97.5	25	9	36	523	498	136	157	18
11	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	293	240	81.4	70	15	21.4	867	789	704	656	53
12	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
13	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986	251	152	98.1	14	7	50	261	246	257	198	7
14	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	58	48	88.9	17	6	35.3	371	354	143	160	17
15	किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और सुरक्षा) अधिनियम, 2000	1457	1049	92.2	292	159	54.5	2279	1982	1695	1368	190
16	यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012	34505	30113	94.7	10498	3809	36.3	82327	71552	41090	37683	4567
17	हत्या करने का प्रयास	276	263	84.6	184	73	39.7	1783	1599	422	468	86
18	अप्राकृतिक अपराध	814	636	91.4	194	84	43.3	1500	1306	833	731	109
19	मानव दुर्व्यापार	221	132	93	7	2	28.6	139	132	300	264	2
#	बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध	8311	6732	86.3	3569	1387	38.9	29026	25123	10060	9660	1775
	बच्चों के प्रति कुल अपराध	**94172**	**57539**	**68**	**21604**	**7690**	**35.6**	**188243**	**165853**	**88949**	**77177**	**10091**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2016 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), आरोप पत्र दायर करने की दर (सीएचआर), विचारण पूर्ण किए गए मामले (सीटीसी), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), विचार संबंधी मामले (सीएफटी), वर्ष के अंत में विचारण के लिए लंबित मामले (सीपीटीईवाई)

क्र.सं	अपराध शीर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएचआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीएफटी	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	हत्या	1640	1493	88.4	640	283	44.2	7915	7274	2446	2285	432
2	शिशु हत्या	93	28	36.8	17	4	23.5	193	176	117	77	5
3	अपहरण और व्यपहरण	52253	18242	39.3	5603	1360	24.3	69066	63358	35962	25191	2188
4	भ्रूण हत्या	144	55	37.2	18	2	11.1	182	164	141	90	4
5	बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना	41	31	83.8	19	2	10.5	285	266	46	37	2
6	निष्कासन और परित्याग	811	83	10.6	37	4	10.8	931	891	189	120	4
7	नाबालिग लड़कियों की खरीद	2465	1520	60.4	474	21	4.4	4974	4500	3120	2002	25
8	विदेशी राष्ट्र से लड़कियों का आयात	5	2	50	0	0	-	4	4	8	4	0
9	वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों की खरीद	7	15	78.9	2	2	100	177	175	21	25	7
10	वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को बेचना	122	74	75.5	8	0	0	572	564	138	114	0
11	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	326	236	84.6	68	10	14.7	1024	956	740	644	35
12	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
13	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986	204	139	94.6	17	8	47.1	385	368	239	168	8
14	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	56	51	100	19	2	10.5	405	386	138	119	1
15	किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और सुरक्षा) अधिनियम, 2000	2253	1825	93.4	461	295	64	3804	3339	2373	2091	310
16	यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012	36022	30891	94.2	10884	3226	29.6	101318	90205	42196	37872	3859
17	हत्या करने का प्रयास	213	191	87.6	107	39	36.4	1525	1418	356	405	58
18	अप्राकृतिक अपराध	1247	1081	93.5	253	107	42.3	2383	2128	1386	1217	131
19	मानव दुर्व्यापार	340	202	85.2	22	4	18.2	334	312	525	444	4
#	बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध	8716	7193	87	4114	1622	39.4	32244	27616	11218	10109	2045
	बच्चों के प्रति कुल अपराध	**106958**	**63352**	**65.4**	**22763**	**6991**	**30.7**	**227721**	**204100**	**101360**	**83015**	**9118**
स्रोत: भारत में अपराध												